

छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 30-03-2022 को 09.00 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिगे. शिव टी. वीएसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी.ए. गुना, मनोनीत सदस्य

1. टिप्पण

- अ. पात्र छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को अनुमोदन के लिए पीडीडीई, दक्षिणी कमान, पुणे को चयन ग्रेड / विशेष ग्रेड / एक बोनस वेतन वृद्धि जैसे प्रस्तावों को फिर से प्रस्तुत करने के संबंध में सर्कुलेशन दिनांक 02-02-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(अ) : नोट और स्वीकृत।

- आ. राजस्व सृजन उद्देश्य के लिए ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए पिछले लाइसेंसधारक के विस्तार के संबंध में सर्कुलेशन दिनांक 02-02-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(आ) : नोट और स्वीकृत।

- इ. जीईएम के माध्यम से मैसर्स मेथोडेक्स से 01 कॉम्पेक्टर की खरीद के संबंध में परिचालन दिनांक 07-02-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(इ) : नोट और स्वीकृत।

- ई. छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट के माध्यम से डीईओ कार्यालय, मद्रास सर्कल के रक्षा संपदा परिसर कार्यालय सह आवासीय परिसर में छोटे कार्यों के निष्पादन के संबंध में परिचालन द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 07-02-2022 को नोट करने के लिए।

संकल्प सं: 01(ई) : नोट और स्वीकृत।

- उ. लाभकारी परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य परिवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में संचलन दिनांक 07-02-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(उ) : नोट और स्वीकृत।

ऊ. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में छावनी क्षेत्र में जमीन के ऊपर टेलीविजन केबल/ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए वार्षिक ट्रैक रेंट के कार्यान्वयन के संबंध में संचलन दिनांक 11-02-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(ऊ) : नोट और स्वीकृत।

ऋ. जेम पोर्टल के माध्यम से 01 (एक) हिंदी अनुवादक को काम पर रखने के संबंध में सर्कुलेशन द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 04-03-2022 को नोट करना।

संकल्प सं: 01(ऋ) : नोट और स्वीकृत।

ए. पात्र छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को चयन ग्रेड / विशेष ग्रेड / एक बोनस वेतन वृद्धि की मंजूरी के प्रस्ताव के संबंध में परिचालन दिनांक 04-03-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

संकल्प सं: 01(ए) : नोट और स्वीकृत।

ऐ. ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पार्किंग क्षेत्र के रखरखाव और पार्किंग शुल्क के संग्रह के लिए पुनः निविदा के संबंध में संचलन दिनांक 04-03-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(ऐ) : नोट और स्वीकृत।

ओ. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में दिनांक 04-03-2022 के कार्यसूची संकल्प को नोट करना मैरियन प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल, पैट्रिक चर्च के पास, सेंट पैट्रिक चर्च रोड, सेंट थॉमस माउंट को उनके द्वारा उपरोक्त स्कूल में किए गए अनधिकृत निर्माण के संबंध में।

संकल्प सं: 01(ओ) : नोट और स्वीकृत।

औ. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में दिनांक 04-03-2022 के कार्यसूची संकल्प को नोट करना श्री एस के एलुमलाई, नंबर 2/17, यूरोपियन लेन, सेंट थॉमस माउंट को उनके द्वारा उक्त स्थल पर किए गए अनधिकृत निर्माण के संबंध में।

संकल्प सं: 01(औ) : नोट और स्वीकृत।

अं. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी क्षेत्र में विद्युत नियंत्रण पैनल और संबद्ध विद्युत कार्यों की आपूर्ति और स्थापना के संबंध में संचलन दिनांक 04-03-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01(अं) : नोट और स्वीकृत।

अः. सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में कुल 20 किलोवाट ग्रिड इंटरएक्टिव एसपीवी आधारित रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की डिजाइन आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के संबंध में संचलन दिनांक 04-03-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

संकल्प सं: 01(अ): नोट और स्वीकृत।

2. अबस सेल के लिए 15 डेस्कटॉप के 03 नंबर की आपूर्ति

अबस सेल के लिए 15 डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए "गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस" (जेम) में प्रकाशित बोली पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए जिसे जेम बिड नंबर जेम/2022/बी/1966699 दिनांक 18-02-2022 के तहत प्रकाशित किया गया था। प्रत्युत्तर में, 11 बोलीदाताओं ने विषय बोली में भाग लिया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 05 बोलीदाताओं ने वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त की है।

जेम के लिए वित्तीय बोली, बोली संख्या GEM/2022/B/1966699 दिनांक 18-02-2022 को कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में 10-03-2022 को खोला गया है। इस संबंध में, योग्य फर्मों द्वारा उद्धृत दर इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	स्थान	डेस्कटॉप की संख्या	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियाँ
1.	मेसर्स प्रोफेशनल अचीवर्स	मध्य प्रदेश	03	रु. 1,49,265/-	एल1
2.	मेसर्स नियुरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	03	रु 1,52,940/-	एल2
3.	मेसर्स साइबरेज मल्टीमीडिया	पंजाब	03	रु. 1,64,970/-	एल3
4.	मेसर्स जिंटेक सॉल्यूशन लिमिटेड	अहमदाबाद	03	रु. 2,21,400/-	एल4
5.	मेसर्स धरम एजेंसियां	राजस्थान	03	रु. 2,34,000/-	एल5

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स प्रोफेशनल अचीवर्स, मध्य प्रदेश, जिन्होंने एबीएस सेल के लिए 03 नंबर के 15 डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए सबसे कम दर उद्धृत की है, को मंजूरी दी जा सकती है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्ट पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं: 02 : अबस सेल के लिए i5 डेस्कटॉप के 03 नंबरों की आपूर्ति के लिए जेम के माध्यम से L1 बोलीदाता, मेसर्स प्रोफेशनल अचीवर्स, मध्य प्रदेश द्वारा उद्धृत रु.1,49,265 / - (जीएसटी सहित) की राशि पर विचार और स्वीकृत।

3. अबस सेल के लिए 05 नंबर के i5 लैपटॉप की आपूर्ति

जीईएम बिड नंबर: जीईएम/2022/बी/1966837 दिनांक 18-02-2022 के तहत प्रकाशित एबीएस सेल के लिए 05 नंबर के आई 5 लैपटॉप की आपूर्ति के लिए "गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस" (जीईएम) में प्रकाशित बोली पर विचार और अनुमोदन करना। प्रत्युत्तर में, 14 बोलीदाताओं ने विषय बोली में भाग लिया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 03 बोलीदाताओं ने वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त की है।

इसके बाद, एक फर्म, मेसर्स एवोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को निलंबन के कारण सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए दो फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए पात्र हो गई हैं।

जेम के लिए वित्तीय बोली, बोली संख्या GEM/2022/B/1966837 दिनांक 18-02-2022 को कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में 11-03-2022 को खोला गया है। इस संबंध में, योग्य फर्मों द्वारा उद्धृत दर इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	जगह	लैपटॉप की संख्या	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियाँ
1.	मेसर्स जिनटेक सॉल्यूशन लिमिटेड	अहमदाबाद	05	रु. 3,29,010/-	एल1
2.	मेसर्स धरम एजेंसियां	राजस्थान	05	रु. 3,35,000/-	एल2

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स जिनटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, अहमदाबाद, जिसने एबीएस सेल के लिए 05 नंबर के i5 लैपटॉप की आपूर्ति के लिए न्यूनतम दर उद्धृत की है, को अनुमोदित किया जा सकता है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्टें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं: 03 : अबस सेल के लिए 05 नंबर के i5 लैपटॉप की आपूर्ति के लिए जेम के माध्यम से L1 बोलीदाता, मेसर्स जिनटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उद्धृत रु. 3,29,010/- (जीएसटी सहित) की राशि पर विचार और अनुमोदित।

4. अबस सेल के लिए 01 डाटा एंटी ऑपरेटर की भर्ती

अबस सेल के लिए 01 डाटा एंटी ऑपरेटर की भर्ती के लिए "गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस" (जेम) में प्रकाशित बोली पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए, जिसे जेम बिड नंबर जेम /2022/B/1922939 दिनांक 04-02-2022 के तहत प्रकाशित किया गया था। प्रत्युत्तर में, 42 बोलीदाताओं ने विषय बोली में भाग लिया है। तकनीकी मूल्यांकन

समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 13 बोलीदाताओं ने बोली की शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वित्तीय बोली के लिए योग्य हैं।

जेम के लिए वित्तीय बोली, बोली संख्या: जेम/2022/बी/1922939 दिनांक 04-02-2022 को 07-03-2022 को कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में जेम पोर्टल पर खोला गया है। इस संबंध में निम्नलिखित बोलीदाताओं ने एबीएस सेल के लिए 01 डाटा एंटी ऑपरेटर की भर्ती के लिए न्यूनतम दर उद्धृत की है।

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	जगह	पोस्ट की संख्या	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियाँ
1.	मेसर्स ब्राइट स्टाफिंग सॉल्यूशंस एलएलपी	चेन्नई	01	रु. 3,38,378.88	एल1
2.	मेसर्स मैक्स प्रोटेक्शन	दिल्ली	01	रु. 3,38,378.88	एल1
3.	मेसर्स जूलियल सिक्योरिटी सर्विस	ट्रिची	01	रु. 3,38,378.88	एल1
4.	मेसर्स वी2यू रखरखाव सेवाएं	चेन्नई	01	रु. 3,38,378.88	एल1
5.	मेसर्स सिंधु प्रिया इंटरप्राइजेज	कोयम्बटूर	01	रु. 3,38,378.88	एल1
6.	मेसर्स योग जनशक्ति एजेंसी	चेन्नई	01	रु. 3,38,378.88	एल1
7.	मेसर्स सुनीता	हरयाणा	01	रु. 3,38,378.88	एल1
8.	मेसर्स एम.एम. इगल सुरक्षा	उत्तर प्रदेश	01	रु. 3,38,378.88	एल1
9.	मेसर्स इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	01	रु. 3,38,378.88	एल1
10.	मेसर्स भारतीय सुरक्षा सेवाएं	चेन्नई	01	रु. 3,38,378.88	एल1

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स योग जनशक्ति एजेंसी, चेन्नई, जो पहले से ही छावनी बोर्ड के लिए डाटा एंटी ऑपरेटर सेवाएं प्रदान कर रही है और जिनकी सेवाएं संतोषजनक हैं, को विषय बोली के लिए एल 1 बोलीदाता के रूप में चुना जा सकता है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्टें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं: 04 : अबास सेल के लिए 01 डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए जेम के माध्यम से L1 बोलीदाता, मैसर्स योगा मैनपावर एजेंसी, चेन्नई द्वारा उद्धृत रु. 3,38,378.88/- (जीएसटी सहित) की राशि पर विचार और अनुमोदित।

5. लोक निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य अनुभाग के लिए 01 नंबर यूपीएस की आपूर्ति एवं स्थापना

जेम बिड सं जेम /2022/बी/1966584 दिनांक 21-02-2022 के तहत प्रकाशित "गवर्नमेंट ई मार्केट डबल्यूडी एंड हेल्थ" में प्रकाशित बोली पर विचार और अनुमोदन करना। प्रत्युत्तर में, 09 बोलीदाताओं ने विषय बोली में भाग लिया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 04 बोलीदाताओं ने वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त की है।

जेम के लिए वित्तीय बोली, बोली संख्या जेम/2022/बी/1966584 दिनांक 21-02-2022 को कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में 11-03-2022 को खोला गया है। इस संबंध में, योग्य फर्मों द्वारा उद्धृत दर निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	जगह	यूपीएस की संख्या	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियों
1.	मेसर्स सीडर इंजीनियर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	कानपुर	01	Rs. 68,000/-	L1
2.	मेसर्स पलमीरों टेक्नोलॉगिएस प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	01	Rs. 78,112/-	L2
3.	मेसर्स के1 सोल्युशंस	उत्तर प्रदेश	01	Rs. 85,031/-	L3
4.	मेसर्स एचके पावर प्रोजेक्ट अंड कंसल्टेंट	दिल्ली	01	Rs. 85,320/-	L4

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स सीडर इंजीनियर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य अनुभाग के लिए 01 यूपीएस की आपूर्ति करने के लिए सबसे कम दर उद्धृत की है, को मंजूरी दी जा सकती है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्टें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं: 05 : पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य अनुभाग के लिए यूपीएस की आपूर्ति और स्थापना के लिए जीईएम के माध्यम से एल 1 बोलीदाता, मैसर्स सीडर इंजीनियर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर द्वारा उद्धृत 68,000 / - (जीएसटी सहित) की राशि पर विचार और अनुमोदित।

6. छावनी बोर्ड कार्यालय के लिए फ़ायरवॉल की आपूर्ति और स्थापना

कैंटोनमेंट बोर्ड, कार्यालय के लिए 01 फ़ायरवॉल की आपूर्ति और स्थापना के लिए "गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस" (जेम) में प्रकाशित बोली पर विचार और अनुमोदन करना, जिसे जेम बोली संख्या जेम/2022/बी/1981176 दिनांक 23-02-2022 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

तत्पश्चात उक्त बोली को दो बार 08-03-2022 से 14-03-2022 तक और 14-03-2022 से 21-03-2022 तक बढ़ा दिया गया। तकनीकी बोली 21-03-2022 को खोली गई और पाया गया कि केवल एक फर्म ने भाग लिया है जिसका नाम है मेसर्स स्माइल सिक्वोरिटी एंड सर्विलांस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने संबंधित अनुभव सहित सभी पहलुओं पर उक्त बोलीदाता का मूल्यांकन किया और वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य पाया गया।

जेम बिड नंबर जेम/2022/B/1981176 दिनांक 23-02-2022 के लिए वित्तीय बोली 22-03-2022 को कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में जेम पोर्टल पर खोली गई है। इस संबंध में छावनी परिषद कार्यालय हेतु 01 फायरवाल की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु उद्धृत दर।

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	जगह	फ़ायरवॉल की संख्या	कुल दर उद्धृत	टिप्पणियाँ
1.	मेसर्स स्माइल सिक्वोरिटी एंड सर्विलांस प्राइवेट लिमिटेड	बेंगलोर	01	Rs. 1,39,550/-	एल1

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स स्माइल सिक्वोरिटी एंड सर्विलांस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर, जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय के लिए 01 फायरवॉल की आपूर्ति और स्थापना के लिए न्यूनतम दर उद्धृत की है, को मंजूरी दी जा सकती है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्टें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं:06 कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय के लिए 01 फायरवॉल की आपूर्ति और स्थापना के लिए एल 1 बोलीदाता, मेसर्स स्माइल सिक्वोरिटी एंड सर्विलांस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर द्वारा जीईएम के माध्यम से उद्धृत 1,39,550 / - (जीएसटी सहित) की राशि पर विचार और अनुमोदन किया गया।

7. अबास सेल के लिए 01 वित्तीय सलाहकार (सीए) की भर्ती

अबास सेल के लिए 01 वित्तीय सलाहकार (सीए) की भर्ती के लिए "गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस" (जेम) में प्रकाशित बोली पर विचार और अनुमोदन करना, जिसे जेम बिड नंबर जेम/2022/बी/2016454 दिनांक 07-03-2022 के तहत प्रकाशित किया गया था। प्रत्युत्तर में, 18 बोलीदाताओं ने विषय बोली में भाग लिया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति

द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 08 बोलीदाताओं ने बोली की शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वित्तीय बोली के लिए योग्य हैं।

जेम बिड नंबर जेम/2022/बी/2016454 दिनांक 07-03- 2022 के लिए वित्तीय बोली कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में जेम पोर्टल पर 21-03-2022 को खोली गई है। इस संबंध में निम्नलिखित बोलीदाताओं ने एबीएस सेल के लिए 01 वित्तीय सलाहकार (सीए) की भर्ती के लिए न्यूनतम दर उद्धृत की है।

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	जगह	पोस्ट की संख्या	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियाँ
1.	मेसर्स शिवांगी एचआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	01	रु. 7,13,100/-	एल 1
2.	मेसर्स योगा जनशक्ति एजेंसी	चेन्नई	01	रु. 7,13,100/-	एल 1
3.	मेसर्स अवध सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कोलकाता (स्थानीय कार्यालय चेन्नई)	01	रु. 7,13,100/-	एल 1
4.	मेसर्स थाई रिसर्च इंफो टेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	01	रु. 7,13,100/-	एल 1
5.	मेसर्स आउटसोर्सिंग समाधान	भोपाल (स्थानीय कार्यालय तृची)	01	रु. 7,13,100/-	एल 1
6.	मेसर्स कनिष्क इंटरप्राइजेज	दिल्ली	01	रु. 7,13,100/-	एल 1

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स योगा जनशक्ति एजेंसी, चेन्नई, जो पहले से ही छावनी बोर्ड के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवाएं प्रदान कर रही है और जिनकी सेवाएं संतोषजनक हैं, को विषय बोली के लिए एल 1 बोलीदाता के रूप में चुना जा सकता है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्टें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं:07: एबीएस सेल के लिए 01 वित्तीय सलाहकार (सीए) की भर्ती के लिए जीईएम के माध्यम से एल 1 बोलीदाता, मेसर्स योगा मैनपावर एजेंसी, चेन्नई द्वारा उद्धृत रु.7,13,100 / - (जीएसटी सहित) की राशि पर विचार किया और अनुमोदित किया।

8. श्रीमती अथिलक्ष्मी, सेकेंड ग्रेड शिक्षक को टीएनपीएससी समूह ॥ परीक्षा लागू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रीमती अथिलक्ष्मी, माध्यमिक शिक्षक, कार्यरत में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लवरम ने छावनी बोर्ड से अपने पत्र दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित टीएनपीएससी ग्रुप ॥ परीक्षा के पद पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में व्यक्ति से अनुरोध पत्र बोर्ड के अनुमोदन के लिए मेज पर रखा गया है।

संकल्प सं:08: बोर्ड ने टीएनपीएससी ग्रुप ॥ परीक्षा को लागू करने के लिए माध्यमिक ग्रेड शिक्षक श्रीमती आदिलक्ष्मी को एनओसी देने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

9. श्री पी एल नारायणन को अनापत्ति प्रमाण पत्र, उच्च टंकण का अध्ययन करने के लिए कार्यालय सहायक।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लवरम में कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत श्री पी एल नारायणन ने बोर्ड से उच्च टाइपिंग के पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में व्यक्ति से अनुरोध पत्र बोर्ड के अनुमोदन के लिए मेज पर रखा गया है।

संकल्प सं:09: बोर्ड ने श्री पी एल नारायणन, कार्यालय सहायक को उच्चतर टंकण के पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

10. एथलेटिक व सिलंबम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार

यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ एमजीआर छावनी हाई स्कूल, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-16 के छात्रों ने जिला और राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट (जूनियर) में भाग लिया है। निम्नलिखित छात्रों ने एथलीटों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं और एक छात्र ने सिलंबम प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

इस संबंध में, बोर्ड निम्नलिखित छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करने और अन्य छात्रों को स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकता है।

क्रम संख्या	छात्र का नाम	भागीदारी का विवरण	जगह	पुरस्कार जीता	इनाम राशि	टिप्पणियाँ
1.	राजलक्ष्मी, दसवीं कक्षा	भाला फेंकने का खेल	06 और 7 नवंबर 2021 से 51वीं चेन्नई जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप	स्वर्ण पदक	रु. 1500/-	
2.	राजलक्ष्मी, दसवीं कक्षा	भाला फेंकने का खेल	35वीं तमिलनाडु इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 8 से 11 दिसंबर 2021 तक	कांस्य पदक	रु. 500/-	

3.	आर. अनीता, दसवीं कक्षा	डिस्कस थ्रो	51वीं चेन्नई जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 06 और 7 नवंबर 2021 से	रजत पदक	रु. 1000/-	
4.	आर. अनीता, दसवीं कक्षा	डिस्कस थ्रो	35वीं तमिलनाडु इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 8 से 11 दिसंबर 2021 तक	कांस्य पदक	रु. 500/-	
5.	एस. स्वाति, पांचवीं कक्षा	सिलंबम	ग्लोबल मेगा सिलंबम वर्ल्ड रिकॉर्ड, एनपीआर कॉलेज, डिंडीगुल	विश्व रिकार्ड	रु. 3000/-	तूतीकोरिन में आयोजित सिलंबम प्रतियोगिता में 3 विभिन्न प्रकार की तकनीकों के साथ लगातार 3 घंटे तक सिलंबम बजाया

इसमें शामिल कुल वित्तीय निहितार्थ रु.6,500/- है। बोर्ड विचार कर सकता है।

संकल्प सं:10: बोर्ड ने एथलेटिक और सिलम्बम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को इनाम के रूप में 6,500/- रुपये की राशि पर विचार और मंजूरी दी।

11. मौजूदा स्तर आईए से आईबी तक अस्पताल सेवाओं के उन्नयन के लिए संवर्ग पुनर्गठन

नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 के अनुसार अस्पताल सेवाओं को मौजूदा स्तर IA से IB में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आम जनता/छावनी निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए छावनी सामान्य अस्पतालों में निम्नलिखित पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है।

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या		चाहे पदोन्नति हो या सीधी भर्ती	यदि प्रोन्नति हो तो किस पद से भरा जाना चाहिए	राज्य सरकार के बराबर पद	टिप्पणियाँ
1.	सिविल सर्जन	01	59300 - 187700	पदोन्नति	एक वरिष्ठ सहायक सर्जन, सिविल सर्जन के रूप में पदोन्नति के लिए वरिष्ठ सहायक सर्जन के पद पर 7 वर्ष की सेवा करेगा।	चिकित्सा विभाग में सिविल सर्जन	जी.ओ.(एम एस) संख्या 65 दिनांक 19.02.2018
2.	वरिष्ठ सहायक सर्जन	01	56900 - 180500	पदोन्नति	एक सहायक सर्जन-वरिष्ठ सहायक सर्जन के रूप में पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की सेवा करेगा	चिकित्सा विभाग में सहायक सर्जन	जी.ओ.(एम एस) संख्या 65 दिनांक 19.02.2018
3	स्टाफ नर्स	03	36000 - 114000	सीधे	लागू नहीं	राज्य सरकार में स्टाफ नर्स	जी.ओ.(एम एस) संख्या 63 दिनांक 27.02.2014

उपरोक्त पदों के सृजन के स्थान पर निम्नलिखित पद अभ्यर्पण हेतु प्रस्तावित हैं:

क्रम संख्या	अभ्यर्पित किए जाने वाले पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	टिप्पणियाँ
1.	सहायक चिकित्सा अधिकारी	01	56100 - 177500	अभ्यर्पण
2.	लर्ची	01	15700 - 50000	अभ्यर्पण
3.	अयाह	01	15700 - 50000	अभ्यर्पण
4.	नर्सिंग सहयोगी	01	15900 - 50400	अभ्यर्पण
5.	दाई	01	19500 - 62000	अभ्यर्पण

दिनांक 01.04.2011 के पीसीबी अनुमोदन के तहत 16.11.2011 को कार्यभार ग्रहण किया था। आगे उसके अनुबंध की अवधि को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ा दिया गया है: -

क्रम संख्या	अधिकार	मानदेय	टिप्पणियाँ
1.	पीसीबी स्वीकृति दिनांक 15.06.2012 और सीबीआर संख्या 6 दिनांक 26.07.2012	परामर्श के लिए मानदेय के रूप में उन्हें प्रति रोगी 300/- रुपये देय है और उपकरण उपयोग शुल्क के रूप में सोनोलॉजिस्ट द्वारा स्वयं के उपकरण लिए जाएंगे।	एक साल के लिए बढ़ाया गया
2.	सीबीआर संख्या 07 दिनांक 17.06.2013	परामर्श के लिए मानदेय के रूप में उन्हें प्रति रोगी 300/- रुपये देय है और उपकरण उपयोग शुल्क के रूप में सोनोलॉजिस्ट द्वारा स्वयं के उपकरण लिए जाएंगे।	एक साल के लिए बढ़ाया गया
3.	परिपत्र एजेंडा दिनांक 13.08.2015	परामर्श के लिए मानदेय के रूप में उन्हें प्रति रोगी 300/- रुपये देय है और उपकरण उपयोग शुल्क के रूप में सोनोलॉजिस्ट द्वारा स्वयं के उपकरण लिए जाएंगे।	एक साल के लिए बढ़ाया गया
4.	सीबीआर संख्या 03 दिनांक 08.03.2016	मानदेय को 300/- से बढ़ाकर 350/- कर दिया गया है।	11 महीने के लिए बढ़ाया गया
5.	सीबीआर संख्या 02 दिनांक 24.03.2017	मानदेय 300 रुपये से 350 रुपये तक	11 महीने के लिए बढ़ाया गया
6.	सीबीआर संख्या 09 दिनांक 31.05.2017	सीबी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट में विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए 350 / - रुपये के साथ-साथ 25000 / - रुपये का मासिक मानदेय और सीबी अस्पताल, पल्लारम में विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए 300 / - रुपये में वृद्धि	

7.	सीबीआर संख्या 04 दिनांक 01.02.2018	सीबी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट में विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए रु.350/- रुपये के साथ-साथ रु.25000/- रुपये का मासिक मानदेय और सीबी अस्पताल, पल्लावरम में विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए रु.300/-	11 महीने के लिए बढ़ाया गया
8.	सीबीआर संख्या 28 दिनांक 21.03.2018	रु.300/- प्रति रूटीन स्कैन और रु.400/- प्रति विशेष स्कैन का बढ़ा हुआ मानदेय और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।	
9.	सीबीआर संख्या 03 दिनांक 18.12.2018	रु.300/- प्रति रूटीन स्कैन और रु.400/- प्रति विशेष स्कैन का मानदेय और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।	11 महीने के लिए बढ़ाया गया
10.	सीबीआर संख्या 03 दिनांक 19.11.2019	मानदेय को 300/- से बढ़ाकर 400/- प्रति रूटीन स्कैन और 400/- से 500/- रुपये प्रति विशेष स्कैन और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।	11 महीने के लिए बढ़ाया गया

अनुबंध की अवधि 22.10.2021 को समाप्त हो गई थी। व्यक्ति भी बोर्ड से उसकी सेवा का विस्तार करने का अनुरोध कर रहा है। यह देखा गया है कि जेम पोर्टल में सोनोलॉजिस्ट पद उपलब्ध नहीं है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि 01.04.2022 (या) से जेम पर उक्त सेवा उपलब्ध कराए जाने तक, जो भी पहले हो, ग्यारह महीने का विस्तार दिया जाए।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:12: बोर्ड ने विचार किया और उनकी सेवा को 01.04.2022 (या) से प्रभावी जेम पर उक्त सेवा उपलब्ध कराए जाने तक, जो भी पहले हो, ग्यारह महीने के लिए बढ़ाने का संकल्प लिया।

13. छावनी बोर्ड अस्पताल में नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं की आउटसोर्सिंग का विस्तार

अनुबंध के आधार पर छावनी बोर्ड अस्पताल में नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं की आउटसोर्सिंग के विस्तार पर विचार और अनुमोदन करना।

सहायक चिकित्सा अधिकारी (एएमओ) से प्राप्त पत्र दिनांक 10.02.2022 के अनुसार, न्यूबर्ग एर्लिच लेबोरेटरीज का अनुबंध 31.03.2022 को समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एएमओ ने बोर्ड से न्यूबर्ग एर्लिच लेबोरेटरीज की सेवाओं को 11 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के संबंध में, आउटसोर्सिंग लैब को भुगतान की जाने वाली दरों का विवरण और छावनी अस्पताल द्वारा एकत्र की जाने वाली दरें नीचे सारणीबद्ध हैं।

क्रम संख्या	टेस्ट का नाम	आउटसोर्सिंग प्रयोगशाला सेवाओं को भुगतान की जाने वाली दर	छावनी अस्पताल द्वारा वसूल की जाने वाली दर
1.	टीएफटी (टी3, टी4, टीएसएच)	रु. 90/-	रु. 120/-
2.	एफटीएफटी(एफटी3, एफटी4, टीएसएच)	रु. 150/-	रु. 150/-
3.	एचबीए1सी	रु. 150/-	रु. 220/-

संग्रह के लिए उपरोक्त उल्लिखित दरों को सीबीआर संख्या 06.दिनांक 28.06.2021 द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रासंगिक दस्तावेजों को अनुमोदन के लिए मेज पर रखा गया है।

संकल्प सं:13: बोर्ड ने 01.04.2022 से 11 महीने की अवधि के लिए मैसर्स न्यूबर्ग एलिच को नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं की आउटसोर्सिंग का विस्तार करने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

14. जेम पोर्टल के माध्यम से कानूनी सहायक के 01 (एक) की भर्ती

संदर्भ : 1. तकनीकी बोली 07.03.2022 को खोली गई

2. तकनीकी बोली 18.03.2022 को खोली गई

इस कार्यालय ने दिनांक 11.02.2022 को जेम पोर्टल के माध्यम से 01 नंबर कानूनी सहायक की भर्ती की आवश्यकता रखी है। तकनीकी बोली 07.03.2022 को खोली गई, जिसमें 31 बोलीदाताओं ने तकनीकी बोली में भाग लिया। 31 बोलीदाताओं में से 01 बोलीदाता को जेम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और 30 बोलीदाताओं को वित्तीय बोली के लिए पात्र माना गया है। इस संबंध में 18.03.2022 को वित्तीय बोली खोली गई। निम्नलिखित 30 बोलीदाताओं ने दर उद्धृत की है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	फर्म का नाम	दर उद्धृत	टिप्पणियाँ	स्थान
1.	डेटाट्रक	रु. 337952.35	एल1	भोपाल
2.	मेसर्स शिवांगी एचआर सॉल्यूशंस	रु. 337952.35	एल1	लखनऊ
3.	श्री श्याम कॉर्पोरेशन	रु. 337952.35	एल1	भोपाल
4.	तिरुमल सुविधाएं सेवाएं	रु. 337952.35	एल1	चेन्नई

5.	प्रयाग टेक्नो सॉल्यूशंस	रु. 337952.35	एल1	उत्तर प्रदेश
6.	त्रिपाठी ब्रदर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	रु. 337952.35	एल1	उत्तर प्रदेश
7.	वैश्विक भारत	रु. 337952.35	एल1	भोपाल
8.	वी2यू रखरखाव सेवाएं	रु. 337952.35	एल1	चेन्नई
9.	उज्जवल कॉमन सर्विस सेंटर	रु. 337952.35	एल1	उत्तर प्रदेश
10.	ऑटोबिट्स आईटी सॉल्यूशंस	रु. 337952.35	एल1	उत्तर प्रदेश
11.	जय गुरु सुरक्षा और सुविधा	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
12.	एम.एम.ईगल्स सुरक्षा	रु. 337952.35	एल1	उत्तर प्रदेश
13.	अवध सुरक्षा सेवाएं	रु. 337952.35	एल1	कोलकाता
14.	राष्ट्रीय सेवाएं	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
15.	विश्व अंतरिक्ष	रु. 337952.35	एल1	बिहार
16.	एम. पी. इंटरप्राइजेज	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
17.	डी ए एस सुविधा सेवाएं	रु. 337952.35	एल1	पश्चिम बंगाल
18.	मिरकले स्पेस	रु. 337952.35	एल1	बिहार
19.	इंडियन क्रफ़िटओ	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
20.	सुशमेश ट्रेड इंटरनेशनल	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
21.	सर्च न कनेक्ट	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
22.	आउटसोर्सिंग सोल्युशंस	रु. 337952.35	एल1	भोपाल
23.	कनिष्क एनतेरप्राइजेज	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
24.	हाउस मीटिंग सेक्युरिटी	रु. 337952.35	एल1	नई दिल्ली
25.	सीएमएस इंडिया	रु. 337952.35	एल1	भोपाल
26.	एसजेटीएस इंटरनेशनल	रु. 348331.20	एल2	उत्तर प्रदेश

27.	वन्य एन्तेरप्राइस	रु. 349752.96	एल3	नई दिल्ली
28.	के पी ग्रुप 9 सेक्यूरिटी	रु. 349752.96	एल3	हरियाणा
29.	जयएमआरयू टेक्नालजी	रु. 386718.72	एल4	नई दिल्ली
30.	एसए इंटिग्रेटेड इंजीनियरिंग	रु. 406623.36	एल5	चेन्नई

30 बोलीदाताओं में से 25 ने रु.337952.35 की सबसे कम दर उद्धृत की और एल1 रखा। 25 सबसे कम फर्मों में से 02 फर्म चेन्नई, तमिलनाडु से हैं। इस संबंध में, V2U रखरखाव सेवा को बोली के लिए चुना जा सकता है। इसे अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेजा जा सकता है।

संकल्प सं:14: जेम पोर्टल के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए 01 कानूनी सहायकों को काम पर रखने की सेवाओं के प्रावधान के लिए वी2यू रखरखाव सेवा, चेन्नई को नियुक्त करने के लिए माना और अनुमोदित किया गया।

15. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के जीएलआरएसवाई संख्या 388/633-ए में 4060 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार।

श्री एम पलानी, श्रीमती एम धनलक्ष्मी, श्री एम एस रमेश, श्रीमती वी लता और श्रीमती वी सुधा से प्राप्त आवेदन दिनांक 09.02.2022 पर विचार करने के लिए, नं. 69, एम.के.पद्मनाबन स्ट्रीट, छावनी पल्लावरम, चेन्नई - 600043 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे का विस्तार करने के लिए, दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15.02.2021 द्वारा जारी किया गया।

जीएलआरएसवाई सं 388/633-ए में रक्षा भूमि, जिसका माप 4060 वर्ग फुट है, बी3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची VI में 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, जिसे पट्टेदार के विकल्प पर 90 साल तक के लिए 26.05.1929 से आवास गृह के उद्देश्य के लिए रु. 5-10-0 के वार्षिक किराए पर दिया गया था और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में 07.12.1929 को बुक- I, वॉल्यूम -17, पेज 473 से 475 के 1929 के दस्तावेज संख्या 1535 के रूप में पंजीकृत।

पहली अवधि के लिए पट्टा 25.05.1959 को समाप्त हो गया और 30 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पट्टा 26.05.1959 से नवीनीकृत किया गया था, जो अनुसूची IV CLAR 1937 में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से किया गया था और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में पुस्तक-I, खंड 199, पृष्ठ 357 और 358 के दस्तावेज संख्या 1089 के रूप में 28.04.1960 पर 8-43 रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत है।

दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 25.05.1989 को समाप्त हो गई और तीसरे के लिए पट्टा और 30 वर्ष की अंतिम अवधि को 26.05.1989 से सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के

द्वारा नवीनीकृत किया गया था और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में 2018 के दस्तावेज़ संख्या 3313 के रूप में पंजीकृत बुक- 1 में 10.05.2018 को 13 / - के वार्षिक किराए पर 14 शीट शामिल हैं।

30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 25.05.2019 को समाप्त हो गई।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10.03.2017 द्वारा जारी किया और 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/44/0603 दिनांक 21.03.2019 के माध्यम से पट्टेदारों से जीएलआरएस संख्या 388/ 633-ए, 26.05.2019 से 31.12.2019 की अवधि के लिए 4060 वर्ग फुट और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराया प्रेषित करने के लिए।

जवाब में, पट्टेदारों ने पत्र दिनांक 26.03.2019 के माध्यम से दिनांक 26.05.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार और प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/44/1546 दिनांक 26.07.2019 के माध्यम से पट्टेदारों को मांग नोटिस जारी किया, जीएलआरएस सं.388/633-ए में 4060 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में 26.05.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए आवासीय दर पर लीज रेंट के बकाया के रूप में 2,94,635 / - की राशि जमा करने के लिए और उन्होंने सीबी रसीद संख्या 46974 दिनांक 21.11.2019 के तहत 1,47,317/- रुपये का भुगतान किया है और 1,47,318 / - सीबी रसीद संख्या 46975 दिनांक 21.11.2019 (कुल 2,94,635 / -) के अनुसार।

इसलिए, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के जीएलआरवाई नंबर 388/633-ए में 4060 वर्ग फुट की लीज भूमि का विस्तार श्री एम पलानी, श्रीमती एम धनलक्ष्मी, श्री एम एस रमेश, श्रीमती वी लता और श्रीमती वी सुधा के पक्ष में 26.05.2019 से 31.12.2019 की अवधि के लिए आवासीय उद्देश्य के लिए सीबीआर नंबर 7 दिनांक 23.12.2019 के अनुसार और 1937 के सीएलएआर की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजीडीई के पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 दिनांक 23.03.2017 के माध्यम से प्राप्त किया गया निष्पादित किया गया था और उप-पंजीकरण कार्यालय, पल्लावरम में 2019 के दस्तावेज़ संख्या 11536 के रूप में पंजीकृत है और आवश्यक GLR अद्यतन किया गया है।

भारत सरकार की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 15.02.2021 के माध्यम से जारी किया, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/44/0818 दिनांक 29.04.2021 के माध्यम से पट्टेदारों को इच्छा और मांग नोटिस जारी किए, पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/44/1239 दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से और वीड लेटर नो एसटीएम/एडीएम/लीज/44/0122 दिनांक 17.12.2021 ने उन्हें 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए आवासीय दर पर पट्टे के किराए के बकाया राशि के लिए

रु.10,02,194/- की राशि देने का अनुरोध किया जीएलआरएस सं 388/633-A में 4060 वर्ग फुट मापने वाली भूमि के संबंध में। तदनुसार, पट्टियों ने रु.10,02,194.00/- की पूरी राशि का भुगतान किया, जो कि सीबी रसीद संख्या 6527 दिनांक 15.02.2022, सीबी रसीद संख्या 6528 दिनांक 15.02.2022, सीबी रसीद संख्या 6529 दिनांक 15.02.2022 और सीबी रसीद नंबर 6530 दिनांक 15.02.2022।

इसलिए, पट्टेदारों श्री एम पलानी, श्रीमती एम धनलक्ष्मी, श्री एम एस रमेश, श्रीमती वी लता और श्रीमती वी सुधा ने पट्टे की पूरी अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया भारत सरकार की अंतरिम नीति, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएस संख्या 388/633-ए में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड के 4060 वर्ग फुट को मापने के लिए आवासीय उद्देश्य के लिए 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है और निष्पादित करना है और सीएलएआर 1937 के अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टे समझौते को पंजीकृत करें, डीजी, डीई लेटर नंबर .18/48/एल/डीई/57 दिनांक 18.02.2021 प्राप्त किया।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:15: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया। इसके बाद, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्धरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

16. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

निम्नलिखित आवेदकों से छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 235 के तहत प्राप्त भवन योजना आवेदनों पर विचार करने के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानों में दरवाजे/सर्वेक्षण संख्या पर भवन निर्माण के लिए।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

प्रत्येक मामले में साइट, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित है, जिसे बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

क्रम संख्या	आवेदक का नाम पते के साथ	साइट का पता	भूमि का विवरण	प्रयोजन
1.	मिस्टर वी रजनी, नंबर 2/48-सी, वेटरन लाइन्स, सी.पल्लावरम, चेन्नई -600 043.	नंबर 2/48-सी, वेटरन लाइन्स, सी.पल्लावरम, चेन्नई - 600 043.	जीएलआरएस नंबर 388/115, आरएस नंबर	आवासीय

			873, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।	
2.	श्री आर वैद्यनाथन, नंबर 2/48-ए, वेटरन लाइन्स, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043.	नंबर 2/48-ए, वेटरन लाइन्स, सी पल्लावरम, चेन्नई 600 043.	जीएलआरएस नंबर 388/115, आरएस नंबर 873 को बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	आवासीय
3.	श्री बी हरिहरन और श्री बी अरुण, नंबर 5/25-बी, सेवन वेल्स 1 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016.	नंबर-5/25-बी, सेवन वेल्स 1 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016.	जीएलआरएस नंबर 264 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।	आवासीय
4.	श्रीमती आर गायत्री, नंबर 59/1, आर्मी क्वार्टर, वेटरन लाइन्स, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043	नंबर-2/30, वेटरन लाइन्स, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043.	जीएलआरएस नंबर 388/159, आरएस नंबर 920, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।	आवासीय
5.	श्रीमती वी रेणुका, संख्या 27, वरदराजपुरम मेन रोड, तेयनमपेट, चेन्नई - 600 018।	नंबर-2/58, वेटरन लाइन्स, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043.	जीएलआरएस नंबर 388/87, आरएस नंबर 885, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।	आवासीय
6.	श्रीमती वी शोबा, नंबर 5/9- ए1, सेवन वेल्स 1 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 16।	नंबर-5/9-ए1, सेवन वेल्स 1 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016.	आरएस नंबर 69 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।	आवासीय

संबंधित फाइलें और कार्यालय रिपोर्टें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं:16: माना और स्वीकृत किया गया कि बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजनाओं को मंजूरी देने का संकल्प लिया, धारा के तहत शर्तों के अनुरूप होने के अधीन और छावनी बोर्ड के उपनियम और अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के हित। मंजूरी केवल नगरपालिका की मंजूरी है और किसी और के जमीन पर या उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

17. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करना

श्री रमेश चेलिया, नंबर 2-ए, ओटाकुथर स्ट्रीट, मुथामिज़ नगर, चेन्नई - 600 075 द्वारा नंबर 2/28, वेटरन लाइन्स, सी. पल्लावरम, चेन्नई - 600 043 में किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए। सी पल्लावरम (वार्ड नंबर 5) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 388/171, आरएस नंबर 955, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि।

पार्टी ने आरसीसी कॉलम, आरसीसी बीम, ईट की चिनाई वाली दीवारों आदि के साथ पहली मंजिल में 655 वर्ग फुट के साथ बिना कैंटोनमेंट बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए अनधिकृत निर्माण में लिप्त है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 और 239 (1) के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम / वर्क्स / 8 / 0976 दिनांक 20.05.2021 और संख्या एसटीएम / वर्क्स / 8 / 0977 दिनांक 20.05.2021 के तहत नोटिस जारी किए।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:17: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

18. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना।

श्रीमती सी.ई. निर्मला देवी, संख्या 5/12-19, सेवन वेल्स स्ट्रीट, नंदमबक्कम, चेन्नई - 600 016 में संख्या 5/12-19, सेवन वेल्स स्ट्रीट, नंदमबक्कम, चेन्नई - 600 016 द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए। जीएलआरएस नंबर 264 भाग वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर 1) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित है।

पार्टी ने छावनी बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना दूसरी मंजिल में 1200 वर्ग फुट के आरसीसी कॉलम, आरसीसी छत, ईट की चिनाई वाली दीवारों आदि के साथ अनधिकृत निर्माण में लिप्त है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 और 239 (1) के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या: एसटीएम/वर्क्स/8/0473 दिनांक 18.02.2022 और संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0474 दिनांक 18.02.2022 के तहत नोटिस जारी किए।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:18: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

19. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करना

श्रीमती के एस सेल्विन सुगुना, एस सिंगारावेलु की पत्नी, नंबर 3/15, पोन्नियाम्मन कोइल स्ट्रीट, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043, नंबर 3/15, पोन्नियाम्मन कोइल स्ट्रीट, सी पल्लावरम, चेन्नई- 600 043 द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए। सी पल्लावरम (वार्ड नंबर VII) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस संख्या 388/52, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि।

पार्टी ने 1147 वर्गफीट ग्राउंड फ्लोर में 1147 वर्गफीट, पहली मंजिल में 1147 वर्गफीट और दूसरी मंजिल में 439 वर्गफीट में आरसीसी फुटिंग, आरसीसी कॉलम आदि के साथ अनाधिकृत निर्माण किया है, जो स्वीकृत योजना से हटकर पार्टी द्वारा किया जा रहा है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 और 239 (1) के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम / वर्क्स / 8 / 1920 दिनांक 29.09.2021 और संख्या एसटीएम / वर्क्स / 8 / 1921 दिनांक 29.09.2021 के तहत नोटिस जारी किए।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:19: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

20. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करना।

श्रीमती टेरेंस राम्या द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए, नंबर 44/5 डी, स्नेहम अपार्टमेंट्स, सेवन वेल्स 2 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में नंबर 4/5-सी, हिल स्टेप्स, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016। जीएलआरएस नंबर 290 वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर 11) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित है।

पार्टी ने 427 वर्ग फीट ग्राउंड फ्लोर में और 648 वर्ग फीट में आरसीसी फुटिंग, आरसीसी कॉलम आदि के साथ अनधिकृत निर्माण में लिप्त है, जो स्वीकृत योजना से विचलित पार्टी द्वारा छत के स्तर तक पूरा किया जा रहा है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 और 239 (1) के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/1654 दिनांक 13.08.2021 और संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/1653 दिनांक 13.08.2021 के तहत नोटिस जारी किए।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:20: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

21. रक्षा स्वामित्व वाले भवनों/भूमियों के अलावा निजी भूमि/भवनों पर स्टेटिक टावर/मोबाइल टावर/गाय के लिए लाइसेंस शुल्क।

संदर्भ : 1. एमओडी, भारत सरकार का पत्र संख्या एफ.11026/1/2005/D (भूमि), दिनांक 26-02-18.

2. एमओसी, डीओटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 1070 (ई), दिनांक 15-11-16.

उपरोक्त के क्रम में, पैरा 3 (iii) और पैरा 8 (डी) (iv) के तहत उपरोक्त संदर्भित पत्र (i) पर, रक्षा स्वामित्व वाले भवनों के अलावा निजी भूमि/भवनों पर स्टेटिक टावर/मोबाइल टावर/गाय के लिए प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क तय किया जाएगा और छावनी बोर्ड द्वारा निर्धारित।

इसके अलावा, उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना (ii) के संदर्भ में, अध्याय III, पैरा 9 (3) के तहत निर्देश दिया गया है कि फर्मा को आवेदन की जांच के लिए प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इस तरह के शुल्क के साथ किया जाएगा और उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में प्रस्तावित कार्य, सामान्य आदेश द्वारा, उचित समझे: बशर्त कि प्रत्येक आवेदन के साथ प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एकमुश्त शुल्क दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

बोर्ड के अवलोकन और निर्णय के लिए कनेक्शन पत्र मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं:21: रक्षा स्वामित्व वाले भवनों/भूमियों के अलावा निजी भूमि/भवनों पर स्थिर टावर/मोबाइल टावर/गाय के लिए प्रति टावर प्रति वर्ष 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) का लाइसेंस शुल्क लगाने पर विचार और अनुमोदन किया गया। रक्षा स्वामित्व वाले भवनों/भूमियों के अलावा निजी भूमि/भवनों पर स्थिर टावर/मोबाइल टावर/गाय के लिए प्रति टावर प्रति वर्ष 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) का लाइसेंस शुल्क लगाने पर विचार और अनुमोदन किया गया।

22. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के जीएलआरएस नंबर 24-ए में 2023 वर्ग फीट की भूमि के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का उत्परिवर्तन / विस्तार।

श्री जी विजया भास्कर, स्वर्गीय श्री गुरराम नरैय्या के पुत्र, श्री जी ध्यानानंदकुमार, स्वर्गीय श्री गुरराम नारायण के पुत्र और श्री जी जयप्रकाश, स्वर्गीय श्री गुरराम नारायण के पुत्र, संख्या 56, नजरथपुरम, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600 016 से प्राप्त आवेदन पर विचार करने के लिए और श्री जी सुकुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरराम चिन्नैया, नंबर 56 ए, नजरथपुरम, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 और श्री जी सुधीरबाबू, स्वर्गीय श्री गुरराम मूसा के पुत्र और श्री जी सुनील कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरराम मूसा नं 56बी, नजरथपुरम, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 छावनी बोर्ड से नामांतरण का अनुरोध करते हुए और जीएलआरएसवाई नंबर 24-ए में भूमि के लीज होल्ड अधिकारों का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2023 वर्ग फुट को मापने के नाम पर श्री जी विजया भास्कर, श्री जी ध्यानानंदकुमार, श्री जी जयप्रकाश, श्री जी सुकुमार, श्री जी सुधीरबाबू और श्री जी सुनील कुमार को 17.11.2020 से 31.12.2021 तक पूरी तरह से समाप्त पट्टे का विस्तार करने के लिए।

इस सम्बन्ध में, i) (स्वर्गीय) श्री गुरराम नरैय्या के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, तहसीलदार, पल्लवरम तालुक द्वारा जारी किया गया कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संख्या टीएन - 720200920285 दिनांक 04.10.2020, ii) (स्वर्गीय) श्री गुरराम चिन्नैया के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, तहसीलदार, सैदापेट तालुक द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र संख्या 725 दिनांक 22.01.1993, iii) (स्वर्गीय) श्री गुरराम मूसा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, तहसीलदार, तांबरम द्वारा जारी किया गया कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संख्या 5316 दिनांक 09.06.2000 और iv) स्वर्गीय श्री गुरराम मूसा की पत्नी (स्वर्गीय) श्रीमती मरियम्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा छावनी बोर्ड को प्रस्तुत की गई है।

जीएलआरएस नंबर 24-ए में रक्षा भूमि, 2023 वर्ग फुट, जिसे बी 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत

रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची 6 में 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, जो पट्टेदार के विकल्प पर 90 साल तक के लिए नवीकरणीय था 17.11.1930 से रु 1/- के वार्षिक किराए पर आवास गृह के प्रयोजन के लिए और उप-पंजीयक कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक-1 खंड-336 के दस्तावेज़ संख्या 506, पृष्ठ 97 से 100 के रूप में 08.05.1931 को पंजीकृत किया गया।

पहली अवधि के लिए लीज की अवधि 16.11.1960 को समाप्त हो गई और 30 साल की दूसरी अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण 17.11.1960 से सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के द्वारा किया गया था और उप-पंजीयक कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक-1, खंड 604, पृष्ठ 267 से 270 के 1961 के दस्तावेज़ संख्या 485 के रूप में 09.03.1961 को रु 1.50 / - के वार्षिक किराए पर पंजीकृत, दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 16.11.1990 को समाप्त हो गई और तीसरी अवधि के लिए लीज और 30 वर्ष की अंतिम अवधि को सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत 17.11.1990 से नवीनीकृत किया गया है और उप-पंजीयक कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक-1 के 2015 के दस्तावेज़ संख्या 2586 के रूप में पंजीकृत, 12.11.2015 को रु 3/- के वार्षिक किराए पर 11 शीट हैं।

30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 16.11.2020 को समाप्त हो गई।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 10.03.2017 के माध्यम से जारी किया और 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/पट्टा/09/1616 दिनांक 14.08.2021 के माध्यम से पट्टेदारों से अनुरोध किया कि वे 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए जीएलआरएस संख्या 24-ए, माप 2023 वर्ग फुट में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करें और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर लीज रेंट का भुगतान करना।

जवाब में, पट्टेदारों ने दिनांक 01.09.2021 के पत्र के माध्यम से दिनांक 17.11.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार / परिवर्तन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है और प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर लीज रेंट का भुगतान करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/09/0251 दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से पट्टेदारों को मांग नोटिस जारी किया, जीएलआरएस संख्या 24-ए में 2023 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए आवासीय दर पर पट्टा किराए के बकाया के लिए 1,79,552 / - की राशि का भुगतान करने के लिए और पट्टेदारों ने सीबी रसीद संख्या 8662 दिनांक 22.03.2022 के अनुसार रु.1,50,000/- का भुगतान किया है और रु.29,552/- चेक संख्या 236480 दिनांक 22.03.2022 (केनरा बैंक) के माध्यम से, कुल रु.1,79,552/-।

इसलिए, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के जीएलआरएस नंबर 24-ए में 2023 वर्ग फुट की लीज भूमि का म्यूटेशन / विस्तार श्री जी विजया भास्कर, श्री जी ध्यानानंदकुमार, श्री जी जयप्रकाश, श्री जी सुकुमार, जी सुधीरबाबू और श्री जी सुनील कुमार के पक्ष में किया जाना है। यह सूचित किया जाता है कि पट्टे की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए पट्टेदार हैं i) श्री गुरराम नरैय्या, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरराम पाकीरिगाडू, ii) श्री जी.सुकुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरराम चिन्नैया, iii) श्रीमती मरिअम्मन स्वर्गीय श्री गुरम मूसा की पत्नी, iv) श्री जी.सुधीर बाबू, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरराम मूसास और v) श्री जी.सुनील कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री गुरराम मूसास। हालाँकि, 06.08.2017 को, स्वर्गीय श्री गुरराम मूसा की पत्नी श्रीमती मरियम की मृत्यु दिनांक 07.11.2020 के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हुई और इसलिए श्रीमती मरियम के नाम पर पट्टा प्रक्रिया का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.09.2020 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार, 16.08.2020 को, श्री गुरराम नारायण, स्वर्गीय श्री पाकरीगडू के पुत्र की मृत्यु हो गई। स्वर्गीय श्री गुरराम नारायण के कानूनी उत्तराधिकारी हैं: i) श्री जी विजय भास्कर ii) श्री सी दयानन्द कुमार iii) श्री जी जयप्रकाश और iv) श्रीमती सारा सोबघ्यामी 04.10.2020 को तहसीलदार, पल्लावरम द्वारा दिए गए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अनुसार। श्रीमती सारा सोबघ्यम ने अपने 10.03.2020 के हलफनामे के माध्यम से अपने पिता से लीज को अपने 3 भाइयों में बदलने के लिए एनओसी दी है।

चूंकि, छावनी बोर्ड की मांग के अनुसार, श्री जी विजय कुमार, श्री जी ध्यानानंद कुमार, श्री जी जय प्रकाश, श्री जी सुकुमार, श्री जी सुधीर बाबू और श्री जी सुनील कुमार ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार (90 वर्ष) पट्टे की पूर्ण अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, रक्षा मंत्रालय, जीएलआरएसवाई संख्या 24-ए में 2023 वर्ग फुट के पट्टे के विस्तार को आवासीय उद्देश्य के लिए 17.11.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है और उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते को निष्पादित / पंजीकृत किया जाना है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:22: के पक्ष में विषय पट्टे को बदलने के लिए विचार किया गया और अनुमोदित किया गया i) श्री जी विजय भास्कर ii) श्री जी.ध्याननन्द कुमार iii) श्री जी जयप्रकाश iv) श्री जी.सुकुमार v) श्री जी.सुधीर बाबू vi) श्री जी.सुनील कुमार तथा नीति के अनुसार लीज को 17.11.2020 से 31.12.2021 तक बढ़ाने के लिए भी और उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को पंजीकृत करने के लिए। इसके बाद, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्धरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

23. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 335 के तहत भवन आवेदन को रद्द करना

यह प्रस्तुत किया जाता है कि छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 235 के तहत भवन योजना की स्वीकृति दी है। विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्रम संख्या	पता के साथ आवेदक का नाम	साइट का पता	भूमि का विवरण	प्रयोजन	अधिकार
1.	श्री थॉमस कैनेडी, नंबर 4/92-3सी, मंगलिअम्मन कोइल स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट।	नंबर 4/92-3सी, मंगलिअम्मन कोइल स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट	जीएलआरए स नंबर 279.	आवासीय	सीबीआर सं.16 दिनांक 31.12.2021 द्वारा स्वीकृत.
2.	श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस, फ्लैट नंबर 16, तीसरी मंजिल, आदित्य बिल्डिंग, भारत पेट्रोलियम स्टाफ कॉलोनी, नंबर 1, रंगरहन गार्डन, अन्ना नगर, चेन्नई	नंबर 4/40-ए, पैट्रिक चर्च रोड, दूसरी स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016	जीएलआरए स नंबर 290 भाग।	आवासीय	सीबीआर संख्या 14 दिनांक 29.01.2022 द्वारा स्वीकृत।

उपरोक्त क्रमांक 1 में उल्लिखित भवन योजना आवेदन के संबंध में, सूचित किया जाता है कि, छावनी बोर्ड द्वारा 07.01.2022 को एक शिकायत प्राप्त हुई है, यह सूचित करते हुए कि विषय भूमि मंगलिअम्मन मंदिर, सेंट थॉमस माउंट की है और बोर्ड से श्री थॉमस कैनेडी के पक्ष में छावनी बोर्ड द्वारा दी गई भवन योजना अनुमोदन को रद्द करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0479 दिनांक 19.02.2022 द्वारा श्री डी देवराजन को सूचित किया, शिकायतकर्ता कि भवन योजना अनुमोदन श्री थॉमस कैनेडी के पक्ष में दिया गया था, पट्टा, एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी / पंजीकृत पंजीकृत दस्तावेज जमा करने पर आधारित है।

इसलिए, छावनी बोर्ड ने श्री डी देवराजन को अपेक्षित वैध राजस्व दस्तावेज जैसे नवीनतम पट्टा/चिट्टा/अदंगल, पंजीकृत दस्तावेज और मांगलिकम मंदिर के पक्ष में विषय भूमि के स्वामित्व को साबित करने वाले एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा।

जवाब में, श्री डी देवराजन ने अपने पत्र दिनांक 05.03.2022 के माध्यम से छावनी बोर्ड को सूचित किया है कि श्री थॉमस कैनेडी ने अनुमोदन के उद्देश्य से बनाए गए नकली पट्टे के साथ छावनी बोर्ड को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, श्री देवराजन ने कहा कि उन्होंने तहसीलदार कार्यालय, पल्लवरम तालुक में विषय संपत्ति के लिए अदंगल अर्क प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर किया है और उन्होंने तहसीलदार, पल्लवरम तालुक

से अपने आरटीआई आवेदन के लिए उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया है। उन्होंने यह साबित करने के लिए एक भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि विषय भूमि मंगलियाम्मन मंदिर की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, छावनी बोर्ड ने श्री थॉमस कैनेडी को विकास शुल्क पत्र जारी नहीं किया। फिलहाल मौके पर कोई निर्माण शुरू नहीं किया गया है।

उपरोक्त क्रमांक 2 में उल्लिखित भवन योजना आवेदन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सीबीआर सं.14 दिनांक 29.01.2022 द्वारा दिए गए बोर्ड के अनुमोदन के बाद, छावनी बोर्ड ने श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस को विकास शुल्क पत्र जारी किया और तदनुसार, आवेदक ने भुगतान किया है i) रु.20,294/- की राशि का विकास शुल्क और ii) रु.17,204/- की राशि का श्रम उपकर

तदनुसार, छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम के पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0581 दिनांक 02.03.2022 के तहत आवेदक को भवन योजना स्वीकृति जारी की। फिलहाल मौके पर कोई निर्माण शुरू नहीं किया गया है।

हालाँकि, अब यह देखा गया है कि विषय दो भूमि पुरातत्व महापाषाण स्थल में स्थित हैं और इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 सी और 20 डी के तहत एनओसी की आवश्यकता है। तथापि, आवेदकों ने उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र छावनी बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री थॉमस कैनेडी और श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस को दी गई भवन योजना की मंजूरी को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 335 के तहत रद्द किया जा सकता है। श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस द्वारा रु.20,294/- की राशि का भुगतान किया गया विकास शुल्क और रु.17,204/- का श्रम उपकर वापस किया जा सकता है।

संकल्प सं:23: बोर्ड ने मामले पर विस्तार से विचार किया। पीसीबी ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी या अनुमोदन के लिए किसी भी विषय को रखने से पहले संबंधित कर्मचारियों द्वारा उचित देखभाल की जानी चाहिए। इसके बाद, बोर्ड ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि एजेंडे पक्ष पर संदर्भित भवन योजनाएं जिन्हें श्री थॉमस कैनेडी और श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस के नाम पर सीबीआर नंबर 16 दिनांक 31.12.2021 के तहत स्वीकृत किया गया था और सीबीआर संख्या 14 दिनांक 29.01.2022 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और श्री ग्लेन विलियम्स राफेल फ्रांसिस द्वारा रु.20,294 / - की राशि के विकास शुल्क का भुगतान किया जाता है और श्रम उपकर की राशि 17,204 रुपये तत्काल प्रभाव से वापस की जाए। बोर्ड ने आगे संबंधित कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी।

24. कंजर्वेसी लॉरी नंबर टीएन 22 बीई 5468 की मरम्मत

संरक्षण वाहन संख्या टीएन 22 बीई 5468 की मरम्मत के लिए निविदा दिनांक 16.03.202 पर विचार और अनुमोदन करना।

कार्यालय टिप्पणी :

कंजरवेंसी लॉरी टीएन 22 बीई 5468 के लिए आरटीओ, मीनांबक्कम द्वारा जारी फिटनेस सर्टिफिकेट 11-02-2022 को समाप्त हो गया। एफसी प्राप्त करने के लिए मरम्मत कार्य करना आवश्यक है। लॉरी की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए संख्या एसटीएम/सैन/वीईएच/0577 दिनांक 03-03-2022 के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया था। चार निविदाएं प्राप्त हुईं :-

क्रम संख्या	निविदाकर्ता का नाम और पता	राशि
1	मेसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स नंबर 5, सुब्रमण्यम स्ट्रीट, पंचायत कॉलोनी, थिरुनीरमलाई मेन रोड, पम्मल, चेन्नई-600075	₹.1,17,500/-
2	मेसर्स महा शक्ति बॉडी वर्क्स नंबर 281, श्रीनिवास नगर, ट्रंक रोड, पूनमल्ली, चेन्नई-600056.	₹.1,32,500/-
3	मेसर्स ग्लोबल मोटर्स 22/2ए, बायपास रोड, पूनमल्ली, चेन्नई-56.	₹.1,38,200/-
4	मेसर्स एआरवी बॉडी वर्क्स नंबर 97, टैंक रोड, पूनमल्ली, चेन्नई-56.	₹.1,45,000/-

उपरोक्त में से, मेसर्स राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स, नंबर 5, ए आर सुब्रमण्यम स्ट्रीट, पंचायत कॉलोनी, पम्मल, चेन्नई - 600 075 ने सबसे कम ₹.1,17,500 / - (रुपये एक लाख सत्रह हजार और पांच सौ रुपये) उद्धृत किया है। संबंधित कागजात टेबल पर रखे गए हैं। बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

25. लाभकारी परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य में परिवर्तन संदर्भ : डीजीडीई पत्र संख्या 738/225/एल/डीई/एससी/विविध/2021 दिनांक 27-12-2021.

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में स्थित छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य के परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार करना। लाभकारी परियोजनाओं के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

क्रम संख्या	जीएलआरएस नंबर / आरएस नंबर	मौजूदा वर्गीकरण	एमजीएन टी	मौजूदा उद्देश्य	क्षेत्र	जगह	प्रस्तावित उद्देश्य	प्रस्तावित सीमा
1.	जीएलआरएस नंबर 2ई	सी	छावनी बोर्ड	खैर, पंप हाउस और	3.079 4 एकड़	WAR कब्रिस्तान से सटी भूमि, माउंट	खैर, पंप हाउस और	3.0794 एकड़

				ड्राइवर क्वार्टर		पूनमल्ली रोड, सेंट थॉमस माउंट (अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर)	लाभकारी परियोजनाएं	
2.	आरएस नंबर 57/1, 57/2 और 58	एनए	छावनी बोर्ड	ट्रेंचिंग ग्राउंड	11.89 0 एकड़	जैन कॉलेज के पास भूमि, नंगनल्लूर (छावनी सीमा के बाहर)	लाभकारी परियोजनाएं	11.890 एकड़

उपरोक्त भूमि एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र में स्थित हैं और धन की कमी के कारण कई वर्षों से किसी भी उपयोग में नहीं हैं। उक्त भूमि मुख्य सड़क, व्यवसायिक क्षेत्रों, महाविद्यालयों, विद्यालयों आदि से घिरी हुई है और इसलिए, छावनी बोर्ड को राजस्व उत्पन्न करने के लिए वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से घाटे में है और अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर है। बोर्ड को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 64 के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम के लिए प्रावधान करने का काम सौंपा गया है।

बोर्ड के ध्यान में लाया जाता है कि छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा 40, डीजीडीई को छावनियों में वर्ग 'सी' भूमि के 'उद्देश्य में परिवर्तन' को मंजूरी देने का अधिकार देती है।

चूंकि सीएलएआर, 2021 डीजीडीई को धारा 40 के अनुसार उद्देश्य के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार देता है, इसलिए प्रस्ताव को ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार डीजीडीई को अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो कि छावनी बोर्ड को सौंपी गई भूमि को उत्पादक और बेहतर तरीके से पारिश्रमिक उद्देश्यों के लिए प्रबंधित करने के लिए है।

विषय वस्तु को सीबीआर संख्या 19 दिनांक 29.01.2022 के माध्यम से बोर्ड को संदर्भित किया गया था और "रक्षा भूमि के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन के रूप में हल किया गया था। i) 3.0794 एकड़ कुओं, पंप हाउस और ड्राइवर के क्वार्टर से, कुओं, पंप हाउस और लाभकारी परियोजनाओं के लिए और ii) छावनी सीमा के बाहर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से 11.890 एकड़, छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत सीएलएआर, 2021 की धारा 40 के अनुसार पारिश्रमिक परियोजनाओं के लिए।"

इस संबंध में उपरोक्त सारणी स्तम्भ में उल्लिखित प्रस्तावित प्रयोजन कालम में निम्नलिखित संशोधन किये जा सकते हैं।

क्रम संख्या	प्रस्तावित उद्देश्य सीबीआर संख्या 19 दिनांक 29.01.2022 द्वारा अनुमोदित	प्रस्तावित उद्देश्य में संशोधन और अनुमोदन
1	कुएं, पंप हाउस और लाभकारी परियोजनाएं	कुएं, पंप हाउस, लाभकारी परियोजनाएं और सार्वजनिक उपयोगिताएं
2	लाभकारी परियोजनाएं	लाभकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं

संबंधित फाइलें और कागजात मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं:25: रक्षा भूमि के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया और स्वीकृत किया गया i) 3.0794 एकड़ कुओं, पंप हाउस और ड्राइवर के क्वार्टर से लेकर कुओं, पंप हाउस, लाभकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक और ii) सीएलएआर, 2021 की धारा 40 के अनुसार, छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत, छावनी सीमा के बाहर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड से लाभकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए 11.890 एकड़।

26. छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत बी 4 रक्षा भूमि का पुनः वर्गीकरण, वर्ग 'सी' और उद्देश्य को 'रिक्त भूमि' से 'लाभकारी परियोजनाओं' में बदलना

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में स्थित छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि के उद्देश्य परिवर्तन और पुनर्वर्गीकरण के प्रस्ताव पर विचार करना। पुनर्वर्गीकरण के लिए भूमि का विवरण नीचे सूचीबद्ध है :-

क्रम संख्या	जीएलआर एस नंबर / आरएस नंबर	मौजूदा वर्गीकरण	प्रबंधन	मौजूदा उद्देश्य	क्षेत्र	स्थान	प्रस्तावित वर्गीकरण	प्रस्तावित उद्देश्य	प्रस्तावित सीमा
1.	जीएलआर एस नंबर 388/432 - भाग	बी 4	छावनी बोर्ड	खाली	14.97 एकड़	अतुधोददी मैदान, पम्मल मेन रोड, सी.पल्लावरम	सी	लाभकारी परियोजनाएं	2.471 एकड़

उपर्युक्त भूमि एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र में स्थित है और कई वर्षों से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उक्त भूमि मुख्य सड़कों, स्कूलों, बैंकों, होटलों, वाणिज्यिक क्षेत्र आदि से घिरी हुई है, तथा और इसलिए, छावनी बोर्ड को राजस्व उत्पन्न करने के लिए व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से घाटे में है और अनुदान पर निर्भर है। बोर्ड को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा (64) के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम के लिए प्रावधान करने का काम सौंपा गया है।

इसलिए पुनर्वर्गीकरण के प्रस्ताव को आरंभ करने का प्रस्ताव है अंदर स्थित 14.97 एकड़ में से 2.471 एकड़ की मौजूदा बी-4 खाली भूमि छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा (8) और धारा (40) के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'सी' भूमि में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र।

विषय वस्तु को सीबीआर संख्या 20 दिनांक 29.01.2022 के माध्यम से बोर्ड को संदर्भित किया गया था और "माना गया" के रूप में हल किया गया था तथा 14.97 एकड़ में से 2.471 एकड़ की वर्तमान बी-4 रिक्त भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव को आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की, अधिसूचित सिविल क्षेत्र के अंदर, छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत धारा (8) के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं के लिए वर्ग 'सी' भूमि में स्थित है और छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा (40)"।

इस संबंध में उपरोक्त सारणी स्तम्भ में उल्लिखित प्रस्तावित प्रयोजन कालम में निम्नलिखित संशोधन किये जा सकते हैं।

क्रम संख्या	सीबीआर सं.20 दिनांक 29.01.2022 द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित प्रयोजन	प्रस्तावित उद्देश्य में संशोधन और अनुमोदन
1	लाभकारी परियोजनाएं	लाभकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं।

संबंधित फाइलें और कागजात मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं:26: 14.97 एकड़ में से 2.471 एकड़ की वर्तमान बी-4 रिक्त भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन किया गया, अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 की धारा (8) और धारा (40) के अनुसार लाभकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'सी' भूमि में।

27. छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत वर्ग 'सी' रक्षा भूमि का पुनर्वर्गीकरण, कक्षा 'ए 1' और पुस्तकालय, मुफ्त पढ़ने के कमरे और छावनी सड़कों से जेसीओ/ओआर के लिए क्षेत्र क्षेत्र परिवार आवास के उद्देश्य में परिवर्तन।

संदर्भ : स्टेशन कमांडर, स्टेशन हेड क्वार्टर, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई 600 009 पत्र संख्या 4042/आरईसीएल/जीएलआरएस 360/क्यू3एल दिनांक 18.02.2022।

स्टेशन कमांडर, स्टेशन मुख्यालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई -600 009 से प्राप्त पत्र संख्या 4042/आरईसीएल/जीएलआरएस 360/क्यू3एल दिनांक 18.02.2022 पर विचार करने के लिए रक्षा भूमि के उद्देश्य को फिर से वर्गीकृत करने और बदलने का अनुरोध करते हुए, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में स्थित छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत। भूमि का विवरण जिसमें पुनर्वर्गीकरण और उद्देश्य में परिवर्तन शामिल है, नीचे सूचीबद्ध हैं:-

क्रम संख्या	जीएलआरएस नंबर	मौजूदा वर्गीकरण	प्रबंधन	मौजूदा उद्देश्य	मौजूदा क्षेत्र	स्थान	प्रस्तावित वर्गीकरण	प्रस्तावित उद्देश्य	प्रस्तावित प्रबंधन	प्रस्तावित सीमा
1.	361	सी	छावनी बोर्ड	पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय	336 वर्ग फुट	MKN Road, St.Thomas Mount, Chennai -600 016	ए 1	खेत क्षेत्र परिवार आवास (एफएएफए)	क्वार्टर मास्टर जनरल	336 वर्ग फुट
2.	5- भाग	सी	छावनी बोर्ड	छावनी सड़कें	15.40 एकड़	MKN Road, St.Thomas Mount, Chennai -600 016	ए 1	खेत क्षेत्र परिवार आवास (एफएएफए)	क्वार्टर मास्टर जनरल	2784 वर्ग फुट, 15.40 एसर में से

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि डीईओ, एमसी, चेन्नई ने ए 2 से जीएलआरएस नंबर 360 वाली भूमि में 4.64 एकड़ की सीमा तक रक्षा भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव शुरू किया था, डीईओ, एमसी, चेन्नई से ए1 के प्रबंधन के तहत, खेत क्षेत्र परिवार आवास (एफएएफए) के निर्माण के लिए क्यूएमजी के प्रबंधन के तहत। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने आईएचक्यू ऑफ एमओडी (सेना) के पत्र संख्या पीसी53971/229/पीएलजी(भूमि)734/यूएस(एल)/डी(एल)/2018 दिनांक 31.07.2018 के तहत मंजूरी दी थी। जीएलआरएस संख्या 361 (सी भूमि) और 5-भाग (सी भूमि) वाली भूमि जीएलआरएस संख्या 360 (ए 1) के निकट मौजूद हैं।

इस संबंध में, स्टेशन मुख्यालय, चेन्नई ने संदर्भ के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से जेओसी/ओर के लिए फील्ड एरिया फैमिली आवास के बेहतर प्लान, निष्पादन और सुरक्षा के लिए उक्त श्रेणी सी भूमि (जीएलआरएस संख्या 361 और 5-भाग) को ए 1 में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

इसलिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित, 336 वर्ग फुट की मौजूदा श्रेणी 'सी' भूमि और 15.40 एकड़ में से 2784 वर्ग फुट की भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव शुरू करने का प्रस्ताव है, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 के नियम 8 के अनुसार फील्ड क्षेत्र परिवार आवास के लिए क्वार्टर मास्टर जनरल के प्रबंधन के तहत 'ए 1' भूमि में छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत।

संबंधित फाइलें टेबल पर रखे गए कागजात हैं।

संकल्प सं:27: जीएलआरएस सं 5 भाग में मौजूदा वर्ग 'सी' भूमि 336 वर्ग फुट और जीएलआरएस में 15.40 वर्ग फुट में से 2784 वर्ग फुट के वर्ग 'सी' भूमि को पुनः वर्गीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया गया, दोनों सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'ए 1' भूमि में, 8 छावनी भूमि प्रशासन नियम 2021 के नियम के अनुसार फील्ड क्षेत्र परिवार आवास के लिए क्वार्टर मास्टर जनरल के प्रबंधन के तहत।

28. मौजूदा भवन को गिराने की अनुमति

श्री पी राजगोपाल, नंबर 11 और 12, चौथा मेन रोड, राजा अन्नामलाई पुरम, चेन्नई -600 028 से 15.03.2022 को छावनी बोर्ड द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 14.03.2022 पर विचार करने के लिए दरवाजा संख्या 5/12, 3, 4, 5, 6 (भागों), माउंट पूनमल्ली रोड और दरवाजा संख्या 5/12-4 और 17 (भागों), सेवन वेल्स स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में स्थित मौजूदा भवन को ध्वस्त करने की अनुमति देने का अनुरोध।

जीएलआरएस नंबर 264 भाग वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर 1) में अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित है। इसलिए, इसे भवन के उद्देश्य के विध्वंस के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है। मौजूदा भवन को गिराने के लिए सभी मंजिलों में कुल भवन क्षेत्र 3648 वर्ग फुट यानी 338.91 वर्ग मीटर है, जिसके लिए विध्वंस शुल्क 47,448/- रुपये (140/- रुपये प्रति 1 वर्ग मीटर) है।

इसलिए, बोर्ड विध्वंस शुल्क के रूप में 47,448/- रुपये के भुगतान पर विषय संपत्ति के विध्वंस की अनुमति दे सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:28: ₹.47,448/- के विध्वंस शुल्क के भुगतान के अधीन मौजूदा भवन को गिराने के लिए विचार और अनुमोदित।

29. आईसीडी सेंटर, पल्लावरम के पास पुरानी झोंपड़ी रोड के जंक्शन में दुकान का आवंटन

आईसीडीएस केंद्र, पल्लावरम के पास ओल्ड शेंडी रोड के जंक्शन में दुकान के आवंटन पर विचार करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, बोर्ड ने सीबीआर संख्या 25 दिनांक 23.07.2019 के माध्यम से छावनी बोर्ड द्वारा उत्पादित जैविक खाद को बेचने और अन्य नगरपालिका उद्देश्यों के लिए दुकान का उपयोग करने का संकल्प लिया है। बोर्ड ने सीईओ को भविष्य में सार्वजनिक नीलामी/निविदा या अस्थायी लाइसेंस के माध्यम से किसी को भी उक्त दुकान आवंटित नहीं करने का निर्देश दिया और उक्त दुकान/परिसर का उपयोग केवल कार्यालय उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

जबकि, बोर्ड के ध्यान में लाया जाता है कि उपर्युक्त दुकान छावनी बोर्ड उप-कार्यालय के बहुत करीब स्थित है जो पल्लावरम में जैविक खाद बेच रहा है। इसलिए, मौजूदा बिक्री स्थान के पास जैविक खाद बेचने के लिए दुकान खोलना एक विवेकपूर्ण विकल्प नहीं है।

उल्लेखनीय है कि उक्त दुकान को पूर्व में अस्थाई लाइसेंस के लिए दिया जाता था और हर माह लाइसेंस शुल्क वसूल कर छावनी परिषद को राजस्व की प्राप्ति होती थी।

इसलिए, यह माना जाता है कि, बोर्ड अपने पहले के संकल्प दिनांक 23-07-2019 पर पुनर्विचार करने और छावनी बोर्ड को राजस्व सृजन के उद्देश्य से दुकान का उपयोग करने का संकल्प ले सकता है।

इस संबंध में संबंधित फाइलों को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं:29: छावनी बोर्ड को राजस्व सृजन के उद्देश्य से आईसीडीएस केंद्र, पल्लावरम के पास ओल्ड शेंडी रोड के जंक्शन में दुकान खोलने का विचार और संकल्प लिया। भविष्य में इसे सार्वजनिक नीलामी/निविदा या अस्थायी लाइसेंस के लिए दिया जा सकता है।

30. पात्र कर्मचारियों को चयन ग्रेड / विशेष ग्रेड / एक बोनस वेतन वृद्धि

निम्नलिखित छावनी बोर्ड के कर्मचारियों ने नीचे दी गई सूची के अनुसार 10 साल, 20 साल और 30 साल की सेवा पूरी कर ली है और तमिलनाडु सरकार के जीओ एमएस नंबर 303 दिनांक 11.10.2017 के तहत क्रमशः चयन ग्रेड, विशेष ग्रेड और एक बोनस वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं। निम्नलिखित पात्र कर्मचारियों की सूची पहले ही बोर्ड में रखी जा चुकी है, जिसके संकल्प संख्या 4, दिनांक 18.12.2018, 03 दिनांक 27.02.2020, 01 दिनांक 22.01.2021 और 04 दिनांक 31.12.2021 ने इसे अनुमोदन के लिए पीडी, डीई, एससी, पुणे को भेजने की सिफारिश की। इस संबंध में पीडी, डीई, एससी, पुणे ने इस छावनी बोर्ड को टिप्पणियों में सुधार करने और निदेशालय को प्रस्ताव फिर से जमा करने का निर्देश दिया है। इसलिए चयन ग्रेड, विशेष ग्रेड, एक बोनस वेतन वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची बोर्ड अनुमोदन के लिए पुनः प्रस्तुत की जाती है।

चयन ग्रेड

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	ईओएल की संख्या, यदि कोई हो	10 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	मौजूदा स्तर	मौजूदा मूल वेतन	प्रस्तावित मूल वेतन	इस तिथि से	प्राधिकरण
1.	बी.थांगामारी, सफाईवाला	01.02.2011	शून्य	31.01.2021	स्तर 1, तालिका संख्या 11	21100 (स्तर 1, तालिका संख्या 11)	22400 (स्तर 1, तालिका संख्या 13)	01.02.2021 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3, पैरा संख्या 10

2.	पी.पीटर दुरैराज, स्वास्थ्य अधीक्षक	01.02.2011	शून्य	31.01.2021	स्तर 12, तालिका संख्या 24	70300 (स्तर 12, तालिका संख्या 24)	74600 (स्तर 12, तालिका संख्या 26)	01.02.2021 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3, पैरा संख्या 10
----	--	------------	-------	------------	---------------------------------	---	---	----------------------------	---

विशेष ग्रेड

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	ईओए ल की संख्या, यदि कोई हो	20 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	मौजूदा स्तर	मौजूदा मूल वेतन	प्रस्तावित मूल वेतन	इस तिथि से	प्राधिकरण
1.	एम.अरिवाङ्गन, जल आपूर्ति मैकेनिक	07.03.2002	शून्य	06.03.2022	स्तर 5, तालिका संख्या 28	40600 (स्तर 5, तालिका संख्या 28)	43100 (स्तर 5, तालिका संख्या 30)	07.03.2022 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3
2.	वाई. बाबू, सफाईवाला	07.03.2002	शून्य	06.03.2022	स्तर 1, तालिका संख्या 22	29300 (स्तर 1, तालिका संख्या 22)	31100 (स्तर 1, तालिका संख्या 24)	07.03.2022 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3
3.	आर.दीपलक्ष्मी माध्यमिक ग्रेड शिक्षक	22.02.2002	शून्य	21.02.2022	स्तर 10, तालिका संख्या 34	54900 (स्तर 10, तालिका संख्या 34)	58200 (स्तर 10, तालिका संख्या 36)	22.03.2022 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3
4.	एस मनोनमणि, सेकेंड ग्रेड टीचर	20.02.2002	शून्य	21.02.2022	स्तर 10, तालिका संख्या 34	54900 (स्तर 10, तालिका संख्या 34)	58200 (स्तर 10, तालिका संख्या 36)	22.02.2022 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3
5.	टी.एम.भारती, सेकेंड ग्रेड टीचर	06.07.1998	शून्य	05.07.2018	स्तर 12, तालिका संख्या 16	55500 (स्तर 12, तालिका संख्या 16)	58900 (स्तर 12, तालिका संख्या 18)	06.07.2018 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3

6.	एस. राजेंद्रन, सफाईवाला	16.04.1997	शून्य	15.04.2017	स्तर 1, तालिका संख्या 19	26800 (स्तर 1, तालिका संख्या 19)	28400 (स्तर 1, तालिका संख्या 21)	TWO INCREMENTS ON 17.07.2018 17.07.2018 को दो वृद्धि	जीओ सुश्री संख्या 303 दिनांक 11.10.2017 पृष्ठ संख्या 3
----	----------------------------	------------	-------	------------	--------------------------------	--	--	--	--

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बोर्ड सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश कर सकता है।

संकल्प सं:30: माना और स्वीकृत किया गया। आवश्यक प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रधान निदेशक, डीई, एससी, पुणे को भेजा जाए।

sd/-
(ब्रिग शिव टी. वीएसएम)
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

sd/-
(सी दिनेश कुमार रेड्डी)
सदस्य सचिव और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

दिनांक:30-03-2022

-/वास्तविक प्रति/-

कार्यालय अधीक्षक
छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह
पल्लवारम